

FROM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला चित्तौड़गढ

वनाम

किस्म मुकदमा- पत्थरगढी नं. 20 रा. 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही गय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख आकाम जो इस हुक्म की तारीख की तारीख में जारी हुए
18/2/22	<p>प्रार्थी की ओर से वकील श्री <u>सख्त सिंह शस्तावत</u> ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत गय नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया जो वाद जांच पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>सक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा <u>सांगरिया</u> पटवार मण्डल <u>जोड़िया</u> तहसील डूंगला की आराजी नम्बर <u>40 रकबा 0.6374 हे. भा.नं. 41 रकबा 0.3025 हे.</u></p> <p>रकबा <u>0.9399</u> हेक्टर/बीघा भूमि स्वयं के खातेदारी होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जिसका कोई स्थायी सीमा चिन्ह नहीं है। तथा विपक्षीगण आराजी के पडौरसी हैं प्रार्थी और विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है, इसलिए उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी कराई जावे।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, वहस सुनी गई। प्रार्थी जैर वहस आराजी का खातेदार होकर उन्हें नपती कराने का अधिकार निहित है। अतः तहसीलदार डूंगला को <u>1000</u> - अक्षर <u>एक</u> हजार रुपये फीस पर नगीणन गिराना किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में बंदावली नक्शा न अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त में दखल दिये मौजा <u>सांगरिया</u> पटवार मण्डल <u>जोड़िया</u> तहसील डूंगला की आराजी नम्बर <u>40 रकबा 0.6374 हे. एवं भा.नं. 41 रकबा 0.3025 हे.</u></p> <p>रकबा <u>0.9399</u> हे.0/बीघा भूमि की पत्थरगढी मुकामल तौर पर की जावे।</p> <p>पत्थरगढी पालना प्रतिवेदन दिनांक <u>21/4/2022</u> तक न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली हो।</p> <p>पत्रावली फॉरल सुमार होकर नम्बर रो कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला